उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन–अनुदान योजना– 2025

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा हिन्दी, उर्दू, पंजाबी एवं लोक भाषा व बोलियों के साहित्यकारों के उपयोगी साहित्य को सुरक्षित करने एवं लेखन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से '**विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन–अनुदान योजना– 2025**' प्रारंभ की जा रही है, जिसमें पुस्तक के प्रकाशन पर होने वाले व्यय का तीन चौथाई भाग, जो रु. 50,000.00 (रु. पचास हजार) से अधिक नहीं होगा, अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून
विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन–अनुदान हेतु आवेदन पत्र/निर्धारित प्रारूप

01 रचनाकार का नाम...

02 पिता का नाम...

03 जन्म तिथि...

04 शैक्षिक योग्यता...

05 वर्तमान सेवापद/व्यवसाय...

06 कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या...

07 पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई प्राप्त हुआ हो)...

08 अनुदान हेतु आवेदित कृति का नाम, विषय का विवरण तथा उपयोगिता...

09 दो लब्ध–प्रतिष्ठ साहित्यकारों के नाम तथा पते जिनकी प्रश्नगत कृति पर संस्तुति इसके साथ संलग्न की गयी है।...

10 प्रश्नगत कृति के प्रकाशन पर कुल अनुमानित व्यय...

11 प्रकाशन की अनुमानित पृष्ठ संख्या तथा पृष्ठ–माप...

12 कागज का वजन तथा किस्म...

13 प्रश्नगत प्रकाशन की जिल्दबन्दी (पेपर बैक अथवा हार्ड बाउण्ड आदि) का विवरण...

14 रंगीन एवं श्वेत–श्याम चित्रों की संख्या...

15 तीन मुद्रकों के स्पष्ट नाम, पता एवं दूरभाष सहित निविदायें, जिन में प्रश्नगत पुस्तक पर मुद्रण एवं प्रकाशन व्यय अनुमान संलग्न किये गये है–.....
....

16 समस्त स्रोतो से वार्षिक आय प्रमाण–पत्र (संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, आई.टी.आर, या वेतन पर्ची आदि संलग्न करना अनिवार्य)...

17 अन्य आवश्यक सूचना, यदि कोई हो...

इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची–

(क) अनुदान हेतु आवेदित पुस्तक की पाण्डुलिपि	संलग्न/नहीं संलग्न
(ख) दो साहित्यकारों की संस्तुतियाँ	संलग्न/नहीं संलग्न
(ग) तीन मुद्रकों के प्रकाशन व्यय–अनुमान	संलग्न/नहीं संलग्न
(घ) उत्तराखण्ड में जन्म का अथवा उत्तराखण्ड में 15 वर्षो से निवास कर रहे हैं, का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र	संलग्न/नहीं संलग्न
(ड़) वार्षिक आय प्रमाण पत्र	संलग्न/नहीं संलग्न

घोषणा पत्र

मैं वचनबद्ध हूँ कि पुस्तक का प्रकाशन मेरे स्वामित्व में किया जायेगा तथा यह अनुदान किसी अन्य प्रकाशन संस्थान को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सर्वथा सत्य हैं। मै अनुदान स्वीकृत होने की दशा में संस्थान तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि उक्त आवेदन में कोई तथ्य/सूचना असत्य पायी जाती है, तो मेरा आवेदन निरस्त करते हुए संस्थान से प्राप्त अनुदान को वापस करने के लिए बाध्य रहूँगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इससे पूर्व इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु न तो मैंने किसी अन्य संस्था/शासन से प्रकाशन अनुदान प्राप्त किया है, और न ही पुस्तक प्रकाशित हो जाने के उपरान्त किसी अन्य संस्था से प्रकाशन अनुदान प्राप्त करूँगा/करूँगी।

दिनांक.. रचनाकार के हस्ताक्षर ....

नाम..

पता..

दूरभाष :...

योजना हेतु नियम एवं शर्तें–

01. प्रकाशन अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा विज्ञापन में अंकित आवेदन पत्र/निर्धारित प्रारूप पर सभी संलग्नों के साथ ही स्वीकार किया जायेगा।
02. यह अनुदान ऐसे रचनाकारों को दिया जायेगा जिनकी वार्षिक आय रू0 15.00 लाख (रू पन्द्रह लाख) से अधिक नहीं है।
03. यह अनुदान 100 पृष्ठ से कम की पुस्तक के लिए देय नहीं होगा।
04. यह अनुदान पाठ्य पुस्तकों तथा विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए प्रस्तुत शोध–ग्रंथों संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु नहीं किया जायेगा।
05. जिस पुस्तक के प्रकाशन के लिए किसी अन्य संस्था/सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता मिली हो, उसे भी अनुदान नहीं दिया जायेगा।
06. यह अनुदान 200 प्रतियों के पेपरबैक प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया जायेगा।
07. अनुदान अथवा कोई भी भाग किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जायेगा।
08. प्रकाशन अनुदान स्वीकृत किये जाने के बाद लेखक को स्वीकृति की सूचना संस्थान द्वारा इस शर्त के साथ दी जायेगी, कि पुस्तक की छपाई प्रारंभ कर दी जाय।
09. अनुदान स्वीकृति की तिथि से एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से मुद्रित प्रथम 16 पृष्ठ (नमूने के रूप में) प्राप्त हो जाने पर प्रथम किस्त (25 प्रतिशत) दी जायेगी। साथ ही अनुदान स्वीकृति के 3 माह के अंदर पुस्तक की 5 प्रतियां संस्थान को प्राप्त हो जानी चाहिए। पुस्तक 3 माह के अंदर प्राप्त न होने की स्थिति में आदेश रद्द समझा जायेगा, तथा प्रद्त्त राशि भू–राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।
10. प्रत्येक पुस्तक के भीतरी कवर–पेज के द्वितीय पृष्ठ पर यह तथ्य स्पष्टतया अंकित करना होगा कि पुस्तक का प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की प्रकाशन–अनुदान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण किया गया है।
11. इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक की 5 प्रतियां संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी, प्रकाशित पुस्तक और संस्थान द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पाण्डुलिपि से मिलान करने के उपरान्त पुस्तक की 5 प्रतियां ठीक दशा में संस्थान में जमा करने के पश्चात ही स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान किया जायेगा।
12. लेखक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पृष्ठों की संख्या एवं प्रकाशित पुस्तक में पृष्ठों की संख्या समान होनी चाहिए, पृष्ठों की संख्या कम होने पर अनुपातानुसार अनुदान में कटौती की जाएगी।
13. उपरोक्त नियमों को समावेशित करते हुए, अनुदान प्राप्ति के पूर्व, प्रार्थी को संस्थान के साथ एक सौ रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक अनुबन्ध करना होगा।
14. केवल उत्तराखण्ड के साहित्यकार उक्त प्रकाशन अनुदान के लिए योग्य होंगे, इस हेतु उन्हें उत्तराखण्ड में जन्म का अथवा उत्तराखण्ड में 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।
15. भाषा संस्थान के वर्तमान अधिकारियों, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति के वर्तमान सदस्य की पुस्तक अनुदान के लिए विचारणीय नहीं होगी।
16. पत्र–पत्रिका आदि के प्रकाशन हेतु कोई अनुदान अथवा सहायता नहीं दी जायेगी।
17. इस योजना के अंतर्गत किसी रचनाकार की उत्कृष्ट कोटि की पाण्डुलिपि के प्रकाशन हेतु अनुदान देने के पश्चात 03 वर्ष तक दूसरी पाण्डुलिपि के प्रकाशन के लिए अनुदान नहीं दिया जायेगा। उदाहरण यदि किसी रचनाकार की पाण्डुलिपि प्रकाशन के लिये अनुदान वर्ष 2025 में दिया गया है, तो उनको पुनः 2028 के पश्चात ही पाण्डुलिपि प्रकाशन के लिये अनुदान दिया जायेगा।
18. अनुदान हेतु चयनित पुस्तक के संबंध में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी/कानूनी प्रकरण सामने आने पर संबंधित लेखक/रचनाकार जिम्मेदार होगा।
19. उन पाण्डुलिपि पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसमें किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्रीय विचार/नीति पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अप्रिय टिप्पणी से भावनाएं आहत की गई हो अथवा ऐसी सम्भावनाएं हो।
20. संस्थान द्वारा पाण्डुलिपि में एक बार विचार कर लिए जाने के उपरान्त उस में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता समझी जाती है तो उसे संस्थान के संज्ञान में लाना अनिवार्य होगा एवं संस्थान की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
21. अनुदान की धनराशि से संबंधित लेखों की निरीक्षा किसी भी समय निदेशक, भाषा संस्थान अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जा सकती है। अनुदान अथवा उसका कोई अंश अप्रयुक्त पाया गया तो अनुदान निरस्त करते हुए बकाया वसूल करने का अधिकार भाषा संस्थान को होगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और उस पर कोई आपत्ति/प्रतिवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
22. प्रकाशन अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्रों पर संस्थान का निर्णय अंतिम होगा। इस पर कोई आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायगा।

उपरोक्त आवेदन पत्र पर सम्पूर्ण सूचना भरकर **पुस्तक प्रकाशन–अनुदान** शीर्षक से निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461/1/1, चन्द्रलोक कालोनी राजपुर रोड, देहरादून को दिनांक– 07 नवम्बर, 2025 तक डाक अथवा स्वयं द्वारा पहुंचानी आवश्यक है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी संस्थान के दूरभाष 7830005969 या संस्थान की वेबसाईट **www.ubs.uk.gov.in** या किसी भी कार्यदिवस में संस्थान कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जसविन्दर कौर
निदेशक (प्र.)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून

विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन–अनुदान हेतु आवेदन पत्र/निर्धारित प्रारूप

01 रचनाकार का नाम..

02 पिता का नाम..

03 जन्म तिथि...

04 शैक्षिक योग्यता..

05 वर्तमान सेवापद/व्यवसाय...

06 कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या..

07 पुरस्कार/सम्मान (यदि कोई प्राप्त हुआ हो)..

08 अनुदान हेतु आवेदित कृति का नाम, विषय का
विवरण तथा उपयोगिता..

09 दो लब्ध–प्रतिष्ठ साहित्यकारों के नाम तथा पते जिनकी प्रश्नगत कृति पर संस्तुति इसके साथ संलग्न की गयी है...

....

10 प्रश्नगत कृति के प्रकाशन पर कुल अनुमानित व्यय...

11 प्रकाशन की अनुमानित पृष्ठ संख्या तथा पृष्ठ–माप...

12 कागज का वजन तथा किस्म...

13 प्रश्नगत प्रकाशन की जिल्दबन्दी (पेपर बैक अथवा हार्ड बाउण्ड आदि) का विवरण.................

....

14 रंगीन एवं श्वेत–श्याम चित्रों की संख्या..

15 तीन मुद्रकों के स्पष्ट नाम, पता एवं दूरभाष सहित निविदायें, जिन में प्रश्नगत पुस्तक पर मुद्रण एवं प्रकाशन व्यय अनुमान संलग्न किये गये है–..

....

....

16 समस्त स्रोतो से वार्षिक आय प्रमाण–पत्र (संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से वार्षिक आय प्रमाण–पत्र, आई.टी.आर, या वेतन पर्ची आदि संलग्न करना अनिवार्य)..........

....

17 अन्य आवश्यक सूचना, यदि कोई हो...

इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचीः

(क) अनुदान हेतु आवेदित पुस्तक की पाण्डुलिपि संलग्न/नहीं संलग्न

(ख) दो साहित्यकारों की संस्तुतियाँ संलग्न/नहीं संलग्न

(ग) तीन मुद्रकों के प्रकाशन व्यय–अनुमान संलग्न/नहीं संलग्न

(घ) उत्तराखण्ड में जन्म का अथवा उत्तराखण्ड में 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र संलग्न/नहीं संलग्न

(ङ) वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न/नहीं संलग्न

घोषणा पत्र

मैं वचनबद्ध हूँ कि पुस्तक का प्रकाशन मेरे स्वामित्व में किया जायेगा तथा यह अनुदान किसी अन्य प्रकाशन संस्थान को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सर्वथा सत्य हैं। मै अनुदान स्वीकृत होने की दशा में संस्थान तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इससे पूर्व इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु न तो मैंने किसी अन्य संस्था/शासन से प्रकाशन अनुदान प्राप्त किया है, और न ही पुस्तक प्रकाशित हो जाने के उपरान्त किसी अन्य संस्था से प्रकाशन अनुदान प्राप्त करूँगा/करूँगी।

दिनांक.. रचनाकार के हस्ताक्षर ....

नाम..

पता..

दूरभाष :...